

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
स०८डी०(बजट आवंटन-२२२५)१२-१५/२०१७-

६५

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक ।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी
मधुबनी ।

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में मांग संख्या-४४ के मुख्य शीर्ष "२२२५-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-०१-अनु० जातियों का कल्याण-००१-निदेशन और प्रशासन-०००१-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों-०००१.०६०१-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बिपत्र कोड सं० ४४-२२२५०१००१०००१ के अन्तर्गत कुल ₹ ६,३०,२९३/- (छः लाख तीस हजार दो सौ तैरान्चे रू०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

पटना, दिनांक २२.०९.१७

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में सृजित स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के स्थापना पर होने वाले व्यय के लिए विभागीय आवंटनादेश संख्या ०६ दिनांक १५/०५/२०१७, पत्रांक ४२ दिनांक १२/०७/२०१७ तथा ५१ दिनांक १७/०८/२०१७ द्वारा आवंटन दिया गया था। जिला कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक ५९९ दिनांक ०८.०९.२०१७ के द्वारा श्री शीतल प्रसाद वर्मा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी का स्वयं Intral Cerebral Hemorrhage रोग की चिकित्सा पर व्यय की गई राशि कुल ₹ ६,३०,२९३/- (छः लाख तीस हजार दो सौ तैरान्चे रू०) मात्र की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या १७७८ दिनांक २०/०७/२०१७ द्वारा प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में जिला कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी के मांग के आलोक में वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए ०६०१-चिकित्सा प्रतिपूर्ति इकाई मद में ₹ ६,३०,२९३/- (छः लाख तीस हजार दो सौ तैरान्चे रू०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है।

२- कुल भारित व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में मांग संख्या-४४ के आय-व्यय शीर्ष "२२२५-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-०१-अनु० जातियों का कल्याण-००१-निदेशन और प्रशासन-०००१-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयों-०००१.०६०१-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, बिपत्र कोड सं० ४४-२२२५०१००१०००१ के अन्तर्गत विकलनीय है।

३- जिला स्तर पर जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।
४- वित्त विभाग के पत्रांक २५६१ दिनांक १७-४-९८ के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है । अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र /परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे ।

५- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व जिला कल्याण पदाधिकारी, होंगे । जिला कल्याण पदा०, मधुबनी, प्रत्येक माह व्यय विवरणी टी०भी० नम्बर/ तिथि के साथ अगले माह की १०वी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन,


(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक ।

५५५

ज्ञापांक- स08डी0(बजट आबंटन-2225)12-15/2017- 64 पटना, दिनांक 22.09.17

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक
21/9/17

ज्ञापांक- स08डी0(बजट आबंटन-2225)12-15/2017- 64 पटना, दिनांक 22.09.17

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा / प्रमंडलीय उप निदेशक, दरभंगा / जिला पदाधिकारी, मधुबनी । बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक
21/9/17

allotment of field staff-2014-15

44/